



## बोडशा बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

### दैनिक विवरणिका

संख्या-19

सोमवार, दिनांक- 27 मार्च, 2017 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.42 बजे अप० तक ।

[1] प्रस्तुति काल :-

- (i) 01 अल्प सूचित प्रश्न उत्तरित ।
- (ii) 21 ताराकित प्रश्न उत्तरित ।
- (iii) 01 ताराकित प्रश्न संख्या-ब-9, स्वास्थ्य विभाग में स्थानान्तरित ।
- (iv) 01 ताराकित प्रश्न अपृष्ठ ।
- (v) 53 ताराकित प्रश्न अनागत ।

[2] कार्य स्थगन :-

माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विजय कुमार खेमका, श्री विद्या सागर केशरी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री राणा रणधीर, श्री ललन पासवान, श्री तारकिशोर प्रसाद एवं श्री अरुण कुमार सिन्हा से प्राप्त कार्य स्थगन सूचना के नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गई ।

[3] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| (1) श्री लाल बाबू राम            | (2) श्री शमीम अहमद             |
| (3) श्री अमित कुमार              | (4) श्री मो० नेमतुल्लाह        |
| (5) श्री संजीव चौरसिया           | (6) श्री विनोद प्रसाद यादव     |
| (7) श्री अशोक कुमार सिंह         | (8) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह  |
| (9) श्री रामदेव राय              | (10) श्री ललन पासवान           |
| (11) श्री मो० नवाज आलम           | (12) श्री राणा रणधीर           |
| (13) श्री सुदामा प्रसाद          | (14) श्री महबूब आलम            |
| (15) श्री सत्यदेव राम            | (16) श्री मुन्द्रिका सिंह यादव |
| (17) श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा | (18) श्री मिथिलेश तिवारी       |
| (19) श्री विजय कुमार खेमका       | (20) श्री अशोक कुमार सिंह      |

(21)	श्री आनन्द शंकर सिंह	(22)	श्री सुबोध राय
(23)	श्री नीरज कुमार	(24)	श्री राजेन्द्र कुमार
(25)	श्री अमरनाथ गामी	(26)	श्रीमती बेबी कुमारी
(27)	श्री यदुवंश कुमार यादव	(28)	श्रीमती गायत्री देवी
(29)	श्री समीर कुमार महसेठ	(30)	श्री विद्यासागर केशरी
(31)	श्री केदार प्रसाद गुप्ता	(32)	श्री तारकिशोर प्रसाद
(33)	श्री अरूण कुमार सिन्हा		

**[4] व्यानाकर्षण सूचनाएँ :-**

- (i) माननीय सदस्य, श्री ललन पासवान एवं अन्य सभासदों का विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से संबंधित तथा दिनांक-24.03.2017 से स्थगित व्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, श्री जय कुमार सिंह द्वारा दिया गया ।
- (ii) माननीय सदस्य, श्री सदानन्द सिंह एवं श्री अजीत शर्मा का शिक्षा विभाग से संबंधित व्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री सदानन्द सिंह द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग श्री अशोक चौधरी द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।
- (iii) माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी का नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित व्यानाकर्षण सूचना को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित किया गया ।

**[5] सभा मेज पर कांगड़ात का रखा जाना :-**

[1] वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्धिकी द्वारा विहार सरकार का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन (1) "राज्य का वित्त", (2) "राजस्व प्रक्षेत्र" तथा (3) "सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र" को जिन्हें विहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[2] वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्धिकी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि विहार सरकार का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन (1) "राज्य का वित्त", (2) "राजस्व प्रक्षेत्र" तथा (3) "सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र" को विहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो" पर सदन की सहमति हुई ।

[3] वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्धिकी द्वारा विहार सरकार का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष 2015-16 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन, जिसे विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[4] वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्धिकी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि "विहार सरकार का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष 2015-16 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन विहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो" पर सदन की सहमति हुई ।

[5] वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्धिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट प्रावक्कलन के संदर्भ में तृतीय तिमाही के प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[6] वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्धिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के परिणाम बजट की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[7] वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्धिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के जेन्डर बजट की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[8] वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्धिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[9] माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिंहदिकी द्वारा विहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर भागलपुर के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से सम्बन्धित प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[10] माननीय सभापति, लोक लेखा समिति, श्री नंद किशोर यादव द्वारा समिति का प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) संख्या-614, 615, 624, 625, 627, 628, 630 एवं 631 तथा अधिकाई व्यय के विनियमन पर प्रतिवेदन संख्या-617 एवं 620 तथा सी०ए०जी० के विभिन्न वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन की कट्टिकाओं पर प्रतिवेदन संख्या-623, 626 एवं 629 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोर-गुल करते हुए बेल में आ गए।

आसन से अनुरोध करने के बाद भी सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हई।

**भोजनावकाश के बाद**

(02.00 बजे अप० से 05.10 बजे अप० तक)

(मात्रवीय अच्छाय महोड़य ने आसन घटणा किया)

[11] वित्तीय कार्य :- वित्तीय वर्ष 2017-2018 के वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-12 (गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, निगरानी विभाग तथा निर्वाचन विभाग)] पर वाद-विवाद तथा मतदान :-

गृह विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा विभाग से संबंधित अनुदान की माँग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। माननीय सदस्य, श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अनुदान की माँग पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। अनुदान की माँग एवं कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निर्णाकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

- (i) श्री ललित कुमार यादव                         (ii) श्री विनोद प्रसाद यादव  
 (माननीय अध्यासी सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव द्वारा आसन ग्रहण किया गया ।)  
 (iii) श्री जिवेश कुमार                                 (iv) श्री राजेश कुमार  
 (v) श्री समीर कुमार महासेठ                         (vi) श्री रमेश ऋषिदेव  
 (vii) श्री रवीन्द्र यादव                                     (viii) श्रीमती पुनम कुमारी उर्फ़ पुनम पासवान  
 (ix) श्री महबूब आलम                                     (x) श्रीमती बेबी कुमारी  
 (xi) श्री ललन पासवान                                     (xii) श्रीमती स्वीटी सीमा हेमवत  
 (माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)  
 (xiii) श्री राणा रणधीर                                     (xiv) श्री राजू तिवारी  
 (xv) श्री मिथिलेश तिवारी                             (xvi) श्री रलेश सादा

तत्पश्चात् सरकार की ओर से वाद-विवाद का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा विस्तारपूर्वक दिया गया।

सरकार का उत्तर प्रारम्भ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए।

तत्पश्चात् माननीय सदस्य, श्री अरुण कुमार सिंहा का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा गृह विभाग के संबंध में अनदान की माँग का मल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

तत्परचात् शेष विभागों के अनुदान की माँग बारी-बारी से गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा सदन से स्वीकृत हआ।

[12] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल-47 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तदुपरात सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-28 मार्च, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाहन तक के लिए स्थगित हुई।

42

दिनांक-27.03.2017

राम श्रेष्ठ राय

संचित

बिहार विधान सभा, पट्टना।